#

रु १० को टिकट टास्ने

#  मितिः

**श्रीमान् प्रमुखज्यू,**

**प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,**

**परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, जुम्ला ।**

**विषयः चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धि ( Land Consolidation) माग सम्वन्धमा ।**

 प्रस्तुत विषयमा तहाँ परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बाट मिति ...................................... मा प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार .................................................................... कृषक समूह/कृषि सहकारी/जल/वन उपभोक्ता समिति/कृषि उद्यमीले चक्लाबन्दी आधारित खेति मार्फत उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमको लागी तपशिल अनुसारका कागजात तथा योजना माग फाराम सहित यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं।

**आवेदकको**

नाम, थर :

ठेगाना :

दस्तखत :

सम्पर्क नं. :

मितिः

**निवेदन साथ संलग्न कागजातहरुM**

1. रु. १० को टिकट टाँस गरि निवेदन।
2. परियोजना कार्यान्वयन एकाइले तयार गरेको रित पूर्वक भरेको आवेदन फारम।
3. कृषक समुह/कृषि फर्म/ कम्पनी /कृषि उद्यमी दर्ता तथा नविकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
4. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता र स्थायी लेखा नंबर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
5. कार्यक्रम सञ्‍चालन हुने स्थान को स्वामित्व खुल्ने कागजात वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तीमा ५ वर्षको सम्झौतानामा।
6. कृषक समुह/कृषक सहकारी/कृषि फर्म/कम्पनी/कृषि उद्यमीको प्रमुख वा अध्यक्ष र निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
7. संस्थाको हकमा कार्यसमितिको बैठकले चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि माग गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी

ब्यवसायिक कार्ययोजना

1. पूँजिगत अनुदान प्रवाह हुने कार्यक्रमक हकमा लागत सहभागिताको प्रतिवद्बता पत्र
2. स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रमको हकमा स्थानीय तहको प्रतिवद्बता पत्र

**खण्ड ख-संक्षिप्त कार्य योजना**

 1.परिचयात्मक विवरणः

|  |  |
| --- | --- |
| आवेदक संस्थाको नामः |  |
| ठेगानाः |  |
| जिल्लाः |  |
| स्थानीय तहको नामः |  |
| वार्ड नं. |  |
| गाउँ/टोलः |  |
| संस्थाको अध्यक्षको नामः |  |
| अध्यक्षको फोन नं. |  |
| सम्पर्क व्यक्तिको नामः |  |
| सम्पर्क व्यक्तिको फोन नं. |  |
| संस्था दर्ता नं.र मितिः |  |
| संस्था दर्ता भएको कार्यालयको नामः |  |
| लाभान्वित कृषक संख्याः | प्रत्यक्ष.....................‍ प्रत्यक्ष..................... |

**कृषक समुह/कृषि सहकारी / कृषि उद्यमी /समितिमा आबद्ध जम्मा घरधुरी संख्याः...............**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| महिला | पुरुष | जम्मा | दलित | आदिवासी/जनजाति | अन्य | जम्मा | युवा |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **२. प्रस्तावित चक्लाबन्दीको औचित्य र क्रियाकलापहरु**

|  |
| --- |
| प्रस्तावित चक्लाबन्दीको आबश्यकता र औचित्यवारे उल्लेख गर्दै तिनै आबश्यकता र औचित्यका आधारमा कुन कुन क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न आबश्यक छ उल्लेख गर्नुहोस् ।  |
| आबश्यकता र औचित्य  |
| क्रियाकलापहरु : 1.
2.
3.
 |

३. कार्यक्रममा संलग्न हुन चाहने कृषकहरुको विवरणः

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स | कृषकको नाम, थर | पति÷पत्निको नाम | ठेगाना | फोन नं | जग्गाको क्षेत्रफल कठ्ठा | कित्ता नं. | हस्ताक्षर | कैफियत |
| १ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १४ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १५ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १६ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १७ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १८ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १९ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २० |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २१ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २२ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २३ |  |  |  |  |  |  |  |  |

आबश्यकता अनुसार थप पानामा समेत समाबेश गर्न सकिनेछ

**४. आवेदकले भर्नु पर्ने बिबरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | पछिल्लो तिन वर्षको खेति अवस्था  | कार्यक्रम संचालन पश्चात  |
| सदस्य संख्या | खेती गरिरहेको क्षेत्रफल कठ्ठा | उत्पादनक्विण्टल | बिक्रि परिमाण क्विण्टल | प्रशोधन सम्बन्धी कार्य | सदस्य संख्या | खेती गर्ने क्षेत्रफलवर्ग मिटर | अनुमानित उत्पादनक्विन्टल | अनुमानित बिक्रि परिमाण क्विन्टल | भण्डारण, प्रशोधन सम्बन्धी कार्यहरु |
|  | पहिलो वाली | दोस्रो वाली | तेस्रो वाली | पहिलो वाली | दोस्रो वाली | तेस्रो वाली | पहिलो वाली | दोस्रो वाली | तेस्रो वाली |  |  |  |  |  |  |
| 207६/7७ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207७/7८ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207८/7९ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.प्रस्तावित चक्लाबन्दी कार्यक्रमवाट श्रृजना हुने रोजगारीको अबस्थाः (जना)**

स्थायीः ...................जना सिजनलः .................जना

**6.चक्लाबन्दी कार्यक्रम स्थलमा भएको सेवा/सुबिधा/पुर्वाधार सम्बन्धी बिबरण**

|  |  |
| --- | --- |
| **सेवा/सुबिधा/पुर्वाधार** | **बिवरण** |
| सडकको पहुच |  |
| सिंचाईको उपलब्धता |  |
| खेती योग्य जमिन जम्मा कठ्ठामा उल्लेख गर्ने |  |
| कृषि औजार उपकरणको प्रयोग/पहुचँ |  |
| बित्तिय संस्थाको पहुच/उपलब्धता |  |
| बजारको उपलब्धता  |  |
| हाल प्रयोग भइरहेको कृषि मेशीनरीहरूको नाम |  |

7. प्रस्तावित बालीहरूमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताबित क्षेत्र भौगोलिक/प्राबिधिक दृष्टीकोणले उपयूक्त छ/छैन?, छ भने कसरी उल्लेख्य गर्नुहोस।

**8. आयोजनाको क्रियाकलाप तथा लागत सम्बन्धी विवरण**

 **(क) प्रस्ताब पेश गरेको चक्लाबन्दी कुन हो (√) लगाउनुहोस ।**

* **जग्गा एकिकरण गरेर -**यसरी जग्गा एकिकरण गरि गरिएको चक्लाबन्दीमा स्याउ ओखर लाई परियोजनावाट सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
* **एकल बाली (बाली एकिकरण) गरेर-** यसरी बाली एकिकरण गरि गरिएको चक्लाबन्दीमा तपशिलमा उल्लेखित बालीलाई मात्र परियोजनावाट सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
* स्याउ
* ओखर

(ख) चक्लाबन्दी खेती गर्ने जग्गाको बाली प्रणाली बिबरण (बर्षभरी कुन-कुन बाली कुन-कुन महिनामा लगाउने हो उल्लेख गर्ने)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | बाली  | वाली लाग्ने क्षेत्रफल विघा | लगाउने सिजन(महिना) | कैफियत |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 पहिलो ५ वर्षको अनुमानित बाली प्रणाली समेत अनुसुचिमा सामेल हुनुपर्नेछ ।

 **(ग) आयोजनामा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु (आवेदकले गर्ने)**

|  |
| --- |
| **आयोजनाका क्रियाकलापहरु लागत तथा प्रस्तावित अनुदान सहित (प्रस्तावकले गर्ने)**  |
| क्र.स | क्रियाकलापहरु | इकाई | परिमाण | दर रू | जम्मा रू | प्रस्तावित अनुदान रकम रु. |
| यसमा प्रस्तावकले पुर्वाधार जमीन मिलाउने सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको लागत राख्न सक्नेछन्। |
| क चक्लाबन्दि गर्नको लागि जमिन सुधार |
| १ | माटो कटिङ्ग माथिल्लो सतहको मलिलो माटो व्यवस्थापन र फिलिग |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| २ | खेती व्यवस्थापन  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | सिंचाइ संरचनना तथा मर्मत सम्भार  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ख. यसमा उद्देश्य अनुरुपका खरिद गर्नुपर्ने मेशिनरी उपकरण र अन्य सामाग्रीहरुको लागत राख्न गर्न सक्नेछन् । |
| १ |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ३. यसमा उद्देश्य अनुरुपका बजारीकरण सम्बन्धी कार्यहरुको लागत राख्न गर्न सक्नेछन् । |
| १ |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ४. बिमा कार्य योजना |
| १ |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ५. विविध खर्च (होर्डिङ्ग बोर्ड, सार्वजनिक सुनुवाई, समन्वय बैठकहरु खर्च, आदि)  |  |  |  |  |  |
| कुल जम्मा लागत रू  |  |  |  |  |  |

 जम्मा परियोजनाको लागत रू :

 जम्मा प्रस्तावकको लागत रू :

(घ) आयोजनाको लागत विवरणः

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.स. | वित्तिय श्रोत | जम्मा रु. |
|  | आवदेकको लगानी रकम रु. |  |
|  | परियोजना लगानी रकम रु. |  |
|  | अन्य निकायको साझेदारी रु. |  |
|  | कुल लागत |  |

ङ) क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्ने समय तालीका

|  |  |
| --- | --- |
|  | आ.ब. २०७८।७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना  |
| क्र.स | क्रियाकलापहरु | भाद्र | असोज | कार्तिक | मंशिर | पुस | माघ | फाल्गुण | चैत्र | बैशाख | जेष्ठ | असार |
| १ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**प्रतिवद्धता-पत्र**

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, भैरहवा, रुपन्देही को मिति २०७................. मा प्रकाशित सूचना अनुसार ..................................................................... कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान प्राप्त गरी कार्यक्रम गर्न इच्छुक भै कार्य योजना सहितको आवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौं। उक्त कार्यक्रममा छनौट भएमा कार्य योजनामा उल्लेख भए बमोजिम कार्य गर्ने गरी कम्तिमा ................. वर्षसम्म निरन्तरता दिनेछु/दिनेछौ। कार्ययोजना अनुसारको कार्य नगरेमा वा ............ वर्ष भन्दा अगावै सो कार्यहरु बन्द गरेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय/प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन एकाइको अनुदान फिर्ता गर्नेछु/गर्नेछौं। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला/बुझाउँला। इति सम्वत् २०७...........गते ..............रोज ..... शुभम्।

**स्वघोषणा**

म/ हामी, हाम्रो संस्थाको तर्फबाट यो स्वीकार गर्दछौँ कि मेरो/ हाम्रो ज्ञान बुद्धिले जानेसम्म यो फारममा उल्लेख गरिएका विवरण/ तथ्यहरु सत्य छन्। माथिका विवरण तथा तथ्यहरु हामीले जानी जानी फरक पार्न खोजेको ठहरिएमा हाम्रो आवेदन छनोट प्रक्रियामा समाबेश गर्ने छैन भन्ने कुरा मैले/ हामीले राम्ररी बुझेको छु/ बुझेका छौँ। हामीले पेश गरेको आवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यालयको नीति नियम सम्झौता तथा शर्त पालना गरी कार्यान्वयन गर्दछौँ वा गर्ने छु। प्रस्तावित लगानी कार्यक्रमको लागि अन्य दाताहरुबाट अनुदान लिएको वा लिन पहल भए नभएको स्वघोषणा समेत गर्दछौँ वा गर्ने छु।

**संस्थाको तर्फबाट:**

नाम:

दस्तखत:

पद:

**बायाँ**

**दायाँ**

संस्थाको नाम:

## चक्लावन्दीमा पकेट कार्यक्रम समूह/सहकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन

### परिचय: कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स-साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गाहरुलाई चक्लाबन्दी गर्न देहायका एक वा एक भन्दा बढी प्रक्रिया अपनाउन सकिनेछ:-

1. एक आपसमा जग्गा सट्टापट्टा गरेर
2. सहकारिता वा सामुहिक पद्धतिद्वारा संयुक्त रुपमा खेती गरेर
3. क्ल्ष्टरमा जग्गा भाडामा लिएर
4. कृषक सम"ह/ सहकारीले वृहत रुपमा खेती गर्ने व्यवस्था गरेर

### चक्लाबन्दीको आवश्यकता र औचित्य

1. नेपालमा औसत जग्गा स्वामित्व प्रति परिवार जम्मा 0.68 हेक्टर र खण्डिकृत रुपमा रहेको,
2. जग्गाको खण्डीकरणबाट कृषि भूमिको उत्पादकत्व कम रहेको,
3. कृषिमा संलग्न जनसंख्या करिब ६० प्रतिशत रहेको र संलग्न श्रमशक्ति अर्ध रोजगारको रुपमा रही उत्पादकत्व न्यून रहेको,
4. कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न चुनौती रहेको।

### उद्देश्यहरु

चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालनको देहाय बमोजिमका उद्देश्य रहेका छन्:-

1. भूमिको बढ्दो खण्डीकरण एवं बाँझो जग्गा राख्‍ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,
2. यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्ने,
3. बजारयोग्य परिमाणमा कृषि उत्पादन गरी प्रतिपर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

###  चक्लाबन्दीको किसिम

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि न्यूनतम क्षेत्रफलमा गह्रा/कान्ला सुधार गरी, जमिन सम्याई वा खण्डिकृत जग्गालाई एकीकरण वा एकल बालीको खेती गरेर चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ । निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा देहाय बमोजिमको अवधारणामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सकिनेछ।

1. **निजी जग्गामा चक्लाबन्दी:** निजी जग्गामा तालिका-९ माउल्लेखित अवधारणा अवलम्बन गरी न्यूनतम क्षेत्रफलमा जग्गाको एकीकरण वा एकल बालीको खेती गरेर चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

तालिका 9: निजी जग्गामा चक्लाबन्दीको किसिम र न्यूनतम क्षेत्रफल

| क्र स | किसिम | भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टर) |
| --- | --- | --- |
| तराई | पहाड | हिमाल  |
| १ | कृषक व्यवस्थित कृषक खेती (Farmer Managed Farmer Farming(  | १०  | ७ | ५  |
| २ | समुह/सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती )Group/Cooperative Managed Farmer Farming( | १५ | १० | ७ |
| ३ | सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती )Cooperative Managed Cooperative Farming) | १०  | ७ | ५  |
| ४ | निजी फर्म व्यवस्थित कृषक खेती (Firm Managed Farmer Farmig) | १०  | ७ | ५  |
| ५ | निजी फर्म व्यवस्थित खेती (Firm Managed Farming( | १०  | ७ | ५  |

1. **सार्वजनिक जग्गामा चक्लाबन्दी:** सार्वजनिक जग्गामा चक्लाबन्दीकार्यक्रम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन्।
2. सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती **(**Cooperative Managed Cooperative Farming)
3. निजी फर्म व्यवस्थित खेती (Firm Managed Farming)

**(ग) चक्लाबन्दी खेतीका विभिन्न किसिमहरुको सैद्धान्तिक अवधारणा**

1. **कृषक व्यवस्थित खेती (Farmer Managed Farming(:** यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा किसानले बालीप्रणाली तथा जातहरु छनौटको निर्णय गर्दछन् र सबै आवश्यक लगानीहरू स्वयं व्यवस्थापन गर्दछन्। उत्पादन पश्चात र बजार सम्बन्धी गतिविधिहरू तथा खेती सम्बन्धी सबै जोखिमका लागि कृषक नै जिम्मेवार हुन्छन्। उत्पादन अनुसार किसानहरु लाभान्वित हुन्छन्।
2. **समुह/सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती )Group/Cooperative Managed Farmer Farming(:** यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा समुह/सहकारीले बाली प्रणाली, जातहरु छनौट र उत्पादन पश्चात बजार सम्बन्धी गतिविधिहरूको निर्णय गर्दछन्। समुह/सहकारीले बीउ, मल, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरण जस्ता कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउने गर्दछन्। किसानहरूले उत्पादन क्रियाकलापमा मात्र लगानी गर्दछन्। कृषकहरू उत्पादन अनुसार लाभान्वित हुन्छन् र सहकारी सदस्यका रूपमा सहकारीको मुनाफाबाट पनि लाभ लिन्छन्। यस अवधारणामा सहकारीले व्यवस्थापन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा मुनाफा आर्जन गर्दछन्।
3. **सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती )Cooperative Managed Cooperative Farming):** यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा सहकारीले आफ्नै वा जग्गा लीजमा लिई बाली प्रणाली, जातहरु छनौट, उत्पादन पश्चात बजार सम्बन्धी गतिविधिहरूको निर्णय गर्दछन्। सहकारीले बीउ, मल, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरण जस्ता कार्यहरू व्यवस्थापन गर्दछन्। यस अवधारणामा जग्गा धनीहरूले निश्चित भाडा लिने गर्दछन् र सहकारीको सदस्य भए बापत प्राप्त हुने फाइदाहरूबाट लाभ लिन्छन्।
4. **निजी फर्म व्यवस्थित कृषक खेती (Firm Managed Farmer Farming):** यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा एक निश्चित व्यवसायिक फर्मले कृषकसँग सम्झौता गर्दछन्। फर्मले बाली प्रणाली, जातहरु छनौट, उत्पादन पश्चात बजार सम्बन्धी गतिविधिहरूको निर्णय गर्दछन्। फर्मले बीउ, मल, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरण जस्ता कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउँदछन् र किसानहरूले उत्पादन क्रियाकलापमा मात्र लगानी गर्दछन्। कृषकहरू उत्पादन अनुसार लाभान्वित हुन्छन् र फर्मले व्यवस्थापन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा मुनाफा आर्जन गर्दछन्।
5. **निजी फर्म व्यवस्थित खेती (Firm Managed Farming(:** यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा फर्मले आफ्नै वा लिजमा लिएको जग्गामा बाली प्रणाली, जातहरु छनौट, उत्पादन पश्चात बजार सम्बन्धी गतिविधिहरूको निर्णय गर्दछन्। फर्मले बीउ, मल, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरण जस्ता कार्यहरू व्यवस्थापन गर्दछन् र जग्गा धनिहरूले निश्चित भाडा लिने गर्दछन्।

(नोट: १.जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन भएमा सबै प्रकारको बालीमा परियोजनाबाट सहयोग गरिने तर एकल बालीको खेती मार्फत चक्लाबन्दी भएमा बीउ उत्पादन, बहु वर्षीय बाली तथा नगदे बालीमा मात्र सहयोग गरिने। )

### उपलब्ध हुने सुविधाहरु:

### चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनाले देहायका सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ:-

1. कृषि पूर्वाधार निर्माण,
2. बीउ, विषादी, सुक्ष्म तत्व, कृषि औजार आदिमा अनुदान उपलब्ध गराउने,
3. प्रविधि र प्राविधिक सेवा टेवा उपलब्ध गराउने,
4. उत्पादित कृषि उपजको बचत सुनिश्चित हुने गरी बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने,
5. बाली बीमा गर्न सहजीकरण गर्ने,